

## राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

### आज्ञा


कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1827 / 2024 दिनांक :20.05.2024

श्रीमती नुसरत बानो (RJ00363), तत्कालीन विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक हाल न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम को दिनांक 18.03.2024 से 20.03.2024 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 17.03.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती बानो की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


  
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/69/2000/ 3965

दिनांक 20.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, टोंक को उनके पत्रांक 28 दिनांक 21.03.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती नुसरत बानो (RJ00363), न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कम-02, जयपुर महानगर-प्रथम।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक।

  
20/5/2024  
सहायक रजिस्ट्रार